राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, पंत कृषि महाविद्यालय, जयपुर

क्रमांक: प.17 (14)फी.एण्ड एम./वि.बो./2017-18/  

दिनांक: 2013-14/1015-60  

12.04.2013 को द्वारा विड ई-पोर्टल के माध्यम से ऑन-लाइन प्राप्त किए जाने की योजना लागू की गई थी। उल्लू व्यवस्था में वाशिंटन विज्ञान, आई.ई.एस.एल. कुश्ति एवं धरोहर राशि के ही.डी. थान को नियमित से साध-प्रोपोल कर नैतिक रूप से लिये जाने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है।

नैतिक रूप से निविदा शुल्क, आई.ई.एस.एल. कुश्ति एवं धरोहर राशि नियम जाने की वर्तमान व्यवस्था को समाप्त करते हुए भविष्य में आमंत्रित की जाने वाली विज्ञान में उपरोक्त शुल्क एवं फीस आदि NEFT/RTGS/IMPS के जरिए संबंधित खंड के खाते में सीधे ही प्राप्त किये जाने के आदेश जारी किये जाते हैं।

इस व्यवस्था के लिये विड आमंत्रित करने वाले अधिकारी द्वारा विड सूचना में इस हेतु खंड का खाता संख्या, आई.एफ.एस.सी. कोड एवं बैंक का नाम शाखा का स्पष्ट उल्लेख कर विज्ञान से उपरोक्त राशि ऑन-लाइन सीधे संबंधित खंड के खाते में जमा कराने की अपेक्षा एवं अपलोड विड के साथ बिड द्वारा जमा कराई गई ऑन-लाइन राशि के ही.डी.आर. नम्बर की रचना प्रति की वांछना की जाती है। संबंधित खंड उपरोक्त जमा राशि को सुनिश्चित कर इसका पूर्ण विवरण विड खोलने वाले अधिकारी को उपलब्ध करवायेगा।

उपरोक्त आदेश प्रशासक महोदय से अनुमोदन प्राप्त है।

(नरेन्द्र कुमार बसाल)  
महाप्रबंधक (प्रशासन)

क्रमांक: प.17 (14)फी.एण्ड एम./वि.बो./2017-18/ 384-518  

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यभारी हेतु--

1. उप शासन सचिव, कृषि (सं-2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. मिः सचिव (प्रशासन), राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर को प्रशासन महोदय के अवलोकनार्थ।
3. अधीक्षक मुख्य अभियंता, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर।
4. मुख्य लेखाधिकारी, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर।
5. अधीक्षक अभियंता, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, समस्त स्थान।
6. अधीशासी अभियंता, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, समस्त स्थान।
7. एनएलसीएस कम प्रोग्रामर, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर को अपलोड हेतु।
8. शाखा प्रमाण।
9. आरक्षित पत्रावली।

(नरेन्द्र कुमार बसाल)  
महाप्रबंधक (प्रशासन)